अंचल अधिकारी का कार्यालय, निरसा (धनबाद)।

विविध वाद संख्या– 04/2019–20

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
06/11/2019	यह अभिलेख आवेदक, मो0 मुमताजुल हक, पिता–स्व0 मगफुरूल हक, साकिम–करीमगंज, कासेपुर, जिला–धनबाद द्वारा प्राप्त परिवाद–पत्र के आलोक में प्रारम्भ की जाती है। आवेदक द्वारा समर्पित अपने परिवाद–पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि उनकी पत्नी–खुशनुदी मुमताज के नाम से क्रय की गयी भूमि मौजा–बड़ाआम्बोना/173, साबिक खाता सं0–14, साबिक प्लॉट सं0–1514, रकवा–39 डी0 भूमि पर बड़ाआम्बोना निवासी मो0 अख्तर द्वारा उक्त जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अतः प्राप्त परिवाद–पत्र के आलोक में ओ0पी0 प्रभारी कालुबथान को उक्त भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को अविलम्ब रोकने हेतु पत्र प्रेषित करते हुये उभय पक्षों को उभय पक्षों को प्रश्नगत् भूमि से संबंधित सभी राजस्व कागजातों के साथ न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 22/11/2019 को उपस्थापित करें। 06/11/2019 अंचल अधिकारी, निरसा।	
22/11/2019	अभिलेख उपस्थापित। नोटिश का तामिला प्राप्त। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों द्वारा सभी राजस्व कागजातों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन से पाया गया कि, प्रथम पक्ष– मो0 मुमताजुल हक द्वारा अपने पत्नी–खुशनुदी मुमताज के नाम से उक्त भूमि से संबंधित क्रय की गयी निबंधित केवाला दलील सं0–1752, दिनांक–26.02.2009, ऑनलाईन पंजी–II एवं वर्ष 2019–20 तक निर्गत लगान–रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है। साथ ही द्वितीय पक्ष–मुन्नी बेगम, पति–मीर जहीरूल हुसैन एवं अन्य के द्वारा भी उक्त खाता/प्लॉट अन्तर्गत रकवा–9.75 डी0 भूमि का केवाला दलील सं0–6056, दिनांक–29.08.2012 की छायाप्रति एवं वंशावली समर्पित किया गया है। प्राप्त राजस्व कागजातों की जाँच हेतु संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक 28/01/2020 को उपस्थापित करें। 22/11/19 अंचल अधिकारी, निरसा।	

Scanned with CamScanner

28/01/2020 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। इनके द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि मौजा–बड़ाआम्बोना, मौजा नं0–173 अन्तर्गत साबिक खाता सं0–14, साबिक प्लॉट सं0–1514, कुल रकवा–39 डी0 गत् सर्वे खतियान के अनुसार **रैयती खाते** की भूमि है जिसका खतियानी रैयत **सुजान खान** है। उक्त भूमि **प्रथम पक्ष**–मो0 मुमताजुल हक की पत्नी–खुशनुदी मुमताज ने मो0 नसीम परवेज से वर्ष 2009 में निबंधित केवाला दलील सं0–1752, दिनांक–26.02.2009 द्वारा क्रय किया है। हल्का में संधारित पंजी–II के अनुसार उक्त भूमि दाखिल–खारिज केश सं0–489(V)/2010–11 के अनुसार जमाबंदी सं0–**296** में खुशनुदी मुमताज के नाम से दर्ज है। **द्वितीय** पक्ष–मुन्नी बेगम एवं अन्य के द्वारा उक्त भूमि निबंधित केवाला दलील सं0–6056, दिनांक–29.08.2012 के माध्यम से मो0 जाबिर हुसैन से क्रय किया गया है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उभय पक्ष के राजस्व कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष–मुमताजुल हक, पिता–स्व0 मगफुरूल हक के द्वारा अपने निज अंश से अधिक भूमि बिक्री की गयी है जो, नियमतः गलत है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त करते हुये उभय पक्षों को सक्षम न्यायालय जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त वाद में पारित आदेश की सूचना उभय पक्षों को दी जाय।

28/01/2020

अंचल अधिकारी,
निरसा।

Scanned with CamScanner